रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 1989/कार्तिक 3, 1911
No. 557] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 1989/KARTIKA 3, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1989

सा का नि. 920 (अ) —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 371 घ के खण्ड (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण आदेश, 1975 के, जो उक्त अनुच्छेद के खण्ड (3) और खण्ड (4) के अधीन जारी किया गया है, पैरा 3 के अधीन गठित आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण का निरन्तर बना रहना आवश्यक नहीं है, से उक्त अधिकरण को समाप्त करते हैं, और निदेश देते हैं कि उस तारीख से ठीक पूर्व उक्त अधिकरण के समक्ष लम्बित प्रत्येक मामला या अन्य

कार्यवाही उसके अभिलेखों सहित, उस तारीख को, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 4 की अपधारा (2) के अधीन स्थापित आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण को अन्तरित हो जाएगी, और उक्त अधिकरण, जहां तक हो सके उस प्रक्रम से, जिस पर वह ऐसे अन्तरण के पूर्व पहुंच गया था उसी रीति से, जैसे कि उस अधिनियम की धारा 19 के अधीन किसी आवेदन की दशा में ऐसे मामले या अन्य कार्यवाही पर या किसी पूर्वस्तर प्रक्रम से या नए सिरे से, जैसे भी अधिरक्षक ठीक समझे, कार्रवाई करने के लिए अग्रसर हो सकेगा ।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उसके नाम में

[सं. एस. 21013/13/87-एस आर]

अशोक कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 25th October, 1989

G.S.R. 920(E).—In exercise of the powers conferred by clause (8) of article 371D of the Constitution, the President, being satisfied that the continued existence of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal constituted under paragraph 3 of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal Order, 1975, issued under clauses (3) and (4) of the said article, is not necessary, hereby abolishes the said Tribunal with effect from the 1st November, 1989, and directs that every case or other proceeding pending before the said Tribunal immediately before that date together with the records thereof shall stand transferred on that date to the Andhra Pradesh Administrative Tribunal established under sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), and the said Tribunal may proceed to deal with such case or other proceeding, so far as may be, in the same manner as in the case of an application under section 19 of that Act, from the stage which was reached before such transfer or from any earlier stage or de novo as the Tribunal may deem fit.

By Order and in the name of the President,

[No. S-21013|13|87-SR]

A. K. VARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1989